Dr. Bhushan Kumar Singh.
Asst. Prof
Deptt. of Commerce

Sub:- Corporate Legal Framework.

TOPIC - Meaning of Company and Types of Company.

M.Com SEM - III

Scanned by CamScanner

corporate
Legal framework
PG Sem-III

⇒ कम्पनी का मतलब क्या है? कंपनी के प्रकार कितने है?

Company का शब्द लैटिन भाषा के शब्द Companies से आया है, जिसमें com का अर्थ है साथ-साथ तथा panies का अर्थ रोटी। Companies Act 2013 Section 2 (20) के अंतर्गत Company का अर्थ है कानूनी और प्राकृतिक या इन दोनों के मिश्रण से व्यक्तियों का समूह जो Commercial और Industrial enterprise को चलाने के लिए बनाया गया है। तथा बहुत सारे सामान्य व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बहुत सारे व्यक्तियों के संगठन का निर्माण किया जाता है। कम्पनी वैधानिक रूप से निर्मित एक artificial व्यक्ति के रूप में काम करती है, जिसकी वजह से इसका अस्तित्व भी अलग होता है। इसलिए हम कह सकते हैं की व्यक्ति के आने या Company से चले जाने पर Company पहले की ही तरह काम करती है इसके अस्तित्व पर किसी प्रकार का असर नहीं होता है

⇒ व्यापारियों या व्यवसायियों का वह समूह या दल या संस्था जो एक साथ मिलकर कोई व्यापार या व्यवसाय करता है

⇒ कंपनी एक बड़ा ही रोचक और रहस्यमय शब्द है जिसको समझना तो आसान है लेकिन वर्णन करना कठिन है। कंपनी एक अदृश्य शक्ति होती है, जिसका जन्म प्राकृतिक न होकर विधान द्वारा होता है। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि कंपनी एक अदृश्य व्यक्ति है। जो अपने सभी कार्य स्वतः करती है।

⇒ कुछ व्यक्तियों के द्वारा मिल जुलकर स्थापित की हुई कोई व्यापारिक मंडली या संस्था

Types of Company

Commercial जगत की क्रियाओं और जरूरतों के हिसाब से भारत में Companies act 2013 के अंतर्गत अलग-अलग Companies के प्रकार बताये गए हैं। वे मुख्यतः निम्नलि खित हैं

The Companies Act 2013 of India defines a Company as :—

A Registered association which is an artifical legal person, having an independent legal entity with.

A perpetual Succession a Common seal for its signatures, a Common Capital comprised of transferable shares an carrying limited liability.

According to the Law in the U.K —

A Company is a body corporate or an incorporated business organization registered under the Companies act. it can be a limited or an unlimited Company. Company limited by guarantee or a Company having a share Capital or a Community interest Company

According to the Law in the USA:

A Company can be a Corporation partnership, association Joint - stock Company, trust. fund or organized group of persons. whether incorporated or not, and any receiver or similar offical, or liquidating agent, for any of the foregoing.

Types of Company

**Based upon Liability**
1. Company limited by share.
2. Company limited by guarantees.
3. Unlimited Companies

**Based upon Nature/members**
1. Public Company
2. Private Company

**On the Basis of control**
1. Holding Comp
2. Subsidiary
3. Associate Comp
4. Joint Venture Company

**On the Basis of Listing of share**
1. Listed Comp
2. Unlisted Com.

**Other Types of Company**
1. Govt Compy
2. Foregor Compy
3. One person Comp
4. Small Comp
5. Section 8 Comp
6. Dormant comp
7. Producer Com
8. Investment Comp
9. Statutory Comp

commercial जगत की क्रियाओं और जरूरतों के हिसाब से भारत में Company Act 2013 के अंतर्गत अलग - अलग Companies के प्रकार बताये गए है के मुख्यतः निम्नलिखित है :—

1. Private Limited Company (निजी सीमित Company)
यह भारत में एक बहुत ही प्रगतिशील business entities इन्होंने
की forms में से एक मानी जाती है। इसमें सदस्यों के
Business assets और Personal assets अलग होते हैं।
इसमें कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 15 directors
हो सकते हैं। और Shareholders 2 से 200 तक हो सकते
हैं। Private Limited 2013 के अंतर्गत करना होता है।
Private Company Registration 3 प्रकार से करा सकते हैं।

A. अंश से सीमित कम्पनी
B. Guarantee से सीमित कम्पनी
C. Unlimited Company

2. Partnership (साझेदारी) – Partnership व्यापार इकाई
Sol Proprietorship की जैसी ही होती है। इसमें 2 या
2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी Business या Company
को चला रहे होते हैं।

3. Limited Liability Partnership – Limited Liability
Partnership अधिनियम 2008 में संसद में पारित किया गया है।

4. Proprietorship – एक Individual के नाम पर business
registered करना। Sole Proprietorship business होता है।
इसमें एक single व्यक्ति ही पूरे Business के लिए जिम्मेदार
होता है. और मालिक और business अलग-अलग नहीं होते हैं।
एक ही मालिक ही Profits, Losses और funds सभी कुछ देखता
है। इसमें संचालन का कोई कठिन नियम नहीं है।
Business से मुनाफा को मालिक के Taxation में भी दिखाया
जाता है।

5. One Person Company (OPC) – OPC Company की एक नई
Form है। यह Company Act 2013 के अंतर्गत उन entrepreneurs (इंटरप्रेनियोर) को support करती है, जो अपने
दम पर जोखिम लेकर business शुरू करते हैं इसमें केवल
एक व्यक्ति ही Company का सदस्य हो सकता है।

Scanned by CamScanner

6. <u>Section 8 Company</u> - section 8 company एक ऐसा संगठन होता है जो non-profit organization के रूप में रजिस्टर्ड होता है। company का मुख्य उद्देश्य जैसा commerce, charity, education, Protection of environment, science social welfare sports, research, धर्म आदि का Promote करती है।

7. <u>Joint Hindu Family</u> - इसमें परिवार का मुख्य कर्ता ही मालिक होता है, और बाकी सभी लोग सदस्यों की तरह होते हैं।

8. <u>Public Company</u> — Public company में Maximum capital 5 lakh रुपए या इससे अधिक होनी चाहिए। इसमें public को shares के लिए Invite करना होता है। इसमें कम से कम 7 (सात) सदस्य होने ही चाहिए Public company के नाम के अंत में "Limited" शब्द लगाना होता है।

Scanned by CamScanner